

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2321 /2023

सत्यनारायण

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, (मुख्यालय), जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री श्रीभान गुर्जर, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.08.2023 की पालना में निलम्बन से बहाल किया गया है। बहाली के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन आयुक्तालय, जिला टोंक से अजमेर रेंज में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि बहाली पर रेंज परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्थानान्तरित किया जा सकता है। अपीलार्थी के संबंध में कोई स्थानान्तरण पारित नहीं किया गया है, जबकि बहाली पर रेंज बदली गई है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की रेंज केवलमात्र इस आधार पर परिवर्तित की गई है कि अपीलार्थी के प्रकरण पर निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा कोई आक्षेप अपीलार्थी पर नहीं है कि अपीलार्थी ने निष्पक्ष विचारण में बाधा उत्पन्न की हो। ऐसे में अपीलार्थी की रेंज दण्डस्वरूप बदली गई है, जो उचित नहीं है।
2. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. अपीलार्थीग को पूर्व में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण निलम्बित किया गया था। पुलिस निदेशालय द्वारा अपीलार्थी को बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी निलम्बन से पूर्व पुलिस थाना, देवली टोंक में

कार्यरत था। वर्तमान में अपीलार्थी को अजमेर रेंज में ही रखा गया है। जिला टोंक अजमेर रेंज के अन्तर्गत ही आता है। ऐसे में अपीलार्थी का रेंज परिवर्तन होना प्रकट नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित मामले को देखते हुए किया गया है। बहाली के बाद ही मुख्यालय परिवर्तन किया गया है, जिसमें कोई नियम-विरुद्धता अथवा दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)